

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधि सूचना ॥

पटना-15, दिनांक-१७-२-१७

संख्या-14/प्रो० 119/2016 (१९५९) साठप्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400—67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-), के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-४८०० दिनांक-१.०४.२०१६ के आलोक में अपर सचिव/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400—67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/-) में दिनांक-२३.०६.२०१६ के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री राम प्रकाश सिंह	350	अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री ललन प्रसाद सिंह	383	सेवानिवृत्।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-२९७७०/२०१५, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी ।

3. श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर सचिव/समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता ।

4. श्री राम प्रकाश सिंह को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 साठप्र०-१९५९

/ पटना-15, दिनांक-१७-२-१७

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) / महालेखाकार बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी संबंधित पदाधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।